सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
कार्यालय
आयकर आयुक्त
16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर,(राज.)

क्रमांक: आ.आ. / उदय / न्यायिक / 2010–2011 /

दिनांक : 14.05.2010

आदेश :–

विषयः– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी सहपठित नियम 11AA के अधीन छूट का नदीनीकरण।

— 00 —

दानदाताओं द्वारा ***वागड़ सेवा संस्थान,एम.जी. हॉस्पीटल परिसर, बांसवाड़ा* (PAN AAATWO729Q)** को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छुट के योग्य होंगे ।

यह छूट **01.04.2010 से 31.03.2013** तक को समाप्त अवधि / कर निर्धारण वर्ष **2013–14** तक निम्नाकिंत शर्तो के साथ मान्य होगी :–

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह स्पष्ट रूप से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक / अवधि तक मान्य है ।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिटठा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो सालाना प्रस्तुत किये जावें ।
3. यदि संस्था के संविधान / गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे ।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों / शर्तों / सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होगें ।

Sd/-
(एस. पी. मीणा)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

नोट :–

इस प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त संस्था को अपने कर निर्धारण के समय उसके द्वारा किये गये खर्चो की छूट तब ही प्राप्त होगी जब निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार पुण्यार्थ है और धारा 11, 12, 12ए(ए) तथा धारा 13 में उल्लेखित शर्तें पूरी करती हो।

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष / न्यासी ***वागड़ सेवा संस्थान,एम.जी. हॉस्पीटल परिसर, बांसवाड़ा*** ।
2. आयकर अधिकारी, बांसवाड़ा को प्रेषित कर निर्देष दिए जाते है कि संस्था / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की स्वयं जांच–पडताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देषों एवं सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तों को निरन्तर पूरा करता है ।
3. अपर आयकर आयुक्त, चित्तौड़गढ़ रेंज, चित्तौड़गढ़ ।

(के. आर. बाफ़ना)
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर